



प्रेस नोट दिनांक 18.06.2022 थाना नागल जनपद सहारनपुर

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर द्वारा अपराधो की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी अभियुक्त गणो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के कुशल पर्यवेक्षण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी देवबन्द महोदय के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री देशराज सिंह थाना नागल के कुशल नेतृत्व मे थाना नागल पुलिस द्वारा आज दिनांक 18.06.2022 को थानाहाजा पर चल रहा वाँछित अभियुक्त साकिब पुत्र गुल बहार निवासी मुगल माजरा थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर सम्बन्धित मु0अ0सं0 123/22 धारा 366/376 भादवि को ब्लाक तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।



अभियुक्त का नाम व पता:-

साकिब पुत्र गुल बहार निवासी मुगल माजरा थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री देशराज सिंह
2. उ0नि0 श्री मोहित कुमार
3. का0 2052 रोहित सैन

प्रेस नोट दिनांक 18.06.2022

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 लीटर

देशी शराब खाम बरामद:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद सहारनपुर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी सदर जनपद सहारनपुर के निर्देशन में एवं थानाध्यक्ष थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर के नेतृत्व में दिनांक 18.06.2022 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त 1. जावेद पुत्र राशिद नि हरिजन 0कालोनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर सहारनपुर को अलावलपुर रोड थाना बार्डर से समय 08.10 बजे 05 लीटर देशी शराब खाम के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 160/22 धारा 60(1) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.जावेद पुत्र राशिद निहरिजन कालोनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर सहारनपुर 0

बरामद माल का विवरण –

1-05 लीटर देशी शराब खाम नाजायज

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण –

1. श्री सतेन्द्र नागर, थानाध्यक्ष थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री करन नागर थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. का0 1322 गौरव कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक 18.06.2022

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा किया गया हत्याकांड का सफल अनावरण, घटना को अंजाम देने वाला 01 हत्यारोपी गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल 01 तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस व 01 मोटर

साइकिल बरामद:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक नगर, सहारनपुर के निर्देशन में चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष श्री सुबे सिंह थाना गागलहेडी जनपद स0पुर के नेतृत्व में दिनांक 17.06.22 को हुई हत्या में वांछित अभि0 अर्पित पुत्र स्व0 अशोक कुमार निवासी कुआहेड़ी थाना मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड को भगवानपुर तिराहा से हत्या में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कार0 (नाल में फंसा), 02 जिन्दा कार0 315 बोर, 01 मोटर साइकिल (काली पल्सर) नं0 UK 17 C 6284 सीज शुदा अन्तर्गत धारा 207 एमवीएक्ट सहित गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्या0 के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

(1) अर्पित पुत्र स्व0 अशोक कुमार निवासी कुआहेड़ी थाना मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड।

बरामदगी का विवरण:-

- (1) 01 तमंचा 315 बोर (आलाकत्ल) व 01 खोखा कार0 315 बोर व 02 जिन्दा कार0 315 बोर
- (2) 01 मोटर साइकिल (काली पल्सर) नं0 UK 17 C 6284 सीज शुदा अन्तर्गत धारा 207 एमवीएक्ट

आपराधिक इतिहास:-

- (1) मु0अ0सं0 240/22 धारा 302/506 भादवि थाना गागलहेडी जनपद स0पुर।
- (2) मु0अ0सं0 241/22 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना गागलहेडी जनपद स0पुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- (1) थानाध्यक्ष श्री सुबे सिंह थाना गागलहेडी जनपद स0पुर।
- (2) उ0नि0 श्री नवीन कुमार सैनी थाना गागलहेडी जनपद स0पुर।
- (3) का0 1128 अजय राठी थाना गागलहेडी जनपद स0पुर।
- (4) का0 1259 विनीत तोमर थाना गागलहेडी जनपद स0पुर।

प्रेस नोट दिनांक 18/06/2022

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-एफटीसी-1 सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की

सजा सुनाई गई:-

अवगत कराना है, कि दिनांक 07.06.2014 को वादीया थाना नकुड जनपद सहारनपुर की लडकी को अभियुक्त प्रवीण पुत्र ब्रजपाल नि० चौरामण्डी थाना चिलकाना, सहारनपुर के द्वारा वादिया को शादी का झांसा देकर इच्छा के विरुद्ध बलात्कार करना व गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देना व वीडियो बनाने की सूचना पर मु०अ०सं० 121सी/14 धारा376(2)जी 363,366,504,506,भादवि में थाना .चिलकाना पर पंजीकृत किया गया, उपरोक्त अभियोग एसटी नं० 225/15 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-एफटीसी-1 स०पुर में विचाराधीन था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाना चिलकाना के द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के कारण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-एफटीसी-1 स०पुर द्वारा आज दिनांक 16.06..22 को अभियुक्त प्रवीण पुत्र ब्रजपाल नि० चौरामण्डी थाना चिलकाना मु०अ०स०121सी/14धारा376(2)जी 363,366,504,506,भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 18/06/22

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा देशी शराब हरियाणा मार्का सहित 02 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशो के अनुपालन में तथा क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो एवं अवैध नशे में लिप्त अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री जसवीर सिंह कोतवाली गंगोह जिला सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्तगण 1. रामकुमार पुत्र मीर सिंह निवासी ग्राम सुखेडी थाना गंगोह जिला सहारनपुर को 07 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का व 2.मुकेश पुत्र इलमचन्द निवासी ग्राम सुखेडी थाना गंगोह जिला सहारनपुर को 07 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का सहित ग्राम सुखेडी गेट के पास थाना गंगोह जिला सहारनपुर से दिनांक 17/06/22 को समय 20.15 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के जुर्म के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 311/2022 धारा 60/63 Ex. Act बनाम रामकुमार व मु0अ0सं0 312/2022 धारा 60/63 Ex. Act बनाम मुकेश पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय पेश किया जा रहा है।



मुकेश



रामकुमार

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1.रामकुमार पुत्र मीर सिंह निवासी ग्राम सुखेडी थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- 2.मुकेश पुत्र इलमचन्द निवासी ग्राम सुखेडी थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी-

- 1.07 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का अभियुक्त रामकुमार उपरोक्त से बरामद
- 2.07 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का अभियुक्त मुकेश उपरोक्त से बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री अनित कुमार यादव, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- 2.का0 1997 विनीत कुमार, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- 3.का0 390 मोनू चौधरी, थाना गंगोह जिला सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक 18.06.2022

मु0अ0स0 104/22 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त को थाना बडगाँव पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व क्षेत्राधिकारी देवबन्द महोदय के कुशल पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी श्री सोवीर नागर के निर्देशन में उ0नि0 विनोद तेवतिया द्वारा मय हमराह के वांछित अभि0 मोहित पुत्र मांगेराम नि0 ग्राम मियानगी थाना बडगाँव सहारनपुर मु0अ0सं0 104/22 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट को मुखबिर की सूचना पर महाराणा प्रताप चौक से आज समय 06.45 बजे गिरफ्तार किया गया। तथा मुकदमा उपरोक्त की पीडिता / अपहर्ता को बरामद किया गया। आवश्यक कार्यवाही कर अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभि0 का नाम व पता:

मोहित पुत्र मांगेराम नि0 ग्राम मियानगी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर

अपराधिक इतिहास अभियुक्त मोहित पुत्र मांगेराम नि0 ग्राम मियानगी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर मु0अ0स0 104/22 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 विनोद तेवतिया थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
2. रि0म0का0 775 आकांक्षा थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 240 ग्राम नाजायज चरस व 02 चाकू बरामद:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के आदेशानुसार व पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय थाना चिलकाना के कुशल नेतृत्व में चिलकाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के दौरान अभिगण 1. साजिद पुत्र गालिब नि0 ग्राम दभेड़ाकला थाना- चिलकाना, सहारनपुर व 2. आकिल पुत्र मूदा उर्फ महमूद नि0 ग्राम दभेड़ा कला थाना चिलकाना, स0पुर को दिनांक 18.08.2022 को समय करीब 08.30 बजे दौलतपुर से दभेड़ाकला मार्ग बूढी यमुना नदी के ढलान के पास 240 ग्राम चरस व 1-1 नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 180/22 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम साजिद व 181/2022 धारा – 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम साजिद, 182/22- 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम आकिल व अपराध संख्या- 183/2022- 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम आकिल उपरोक्त पंजीकृत किया गया है। अभि0 को समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1.साजिद पुत्र गालिब नि0 ग्राम दभेड़ाकला थाना- चिलकाना, सहारनपुर।
- 2.आकिल पुत्र मूदा उर्फ महमूद नि0 ग्राम दभेड़ा कला थाना चिलकाना, स0पुर।

बरामदगी की विवरण:-

- 1-124 ग्राम चरस व 01 नाजायज चाकू (साजिद से)
- 2-116 ग्राम चरस व 01 नाजायज चाकू (आकिल से)

गिरफ्तार अभियुक्त साजिद का अपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0सं0- 461/19 धारा 399 भादवि थाना चिलकाना, स0पुर।
2. मु0अ0सं0- 464/19 धारा 411/420/465 भादवि थाना चिलकाना, स0पुर।
3. मु0अ0सं0- 465/19 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना, स0पुर।
- 4.मु0अ0सं0- 101/2020 धारा 2/3 गैस्टर एक्ट थाना चिलकाना, स0पुर।
5. मु0अ0सं0- 291/2020 धारा 4/25 ए एक्ट थाना चिलकाना, स0पुर।
- 6.मु0अ0सं0- 352/21 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना, स0पुर।
- 7.मु0अ0सं0- 414/21 धारा 8/21 एन डी पी एस एक्ट थाना नकुड स0पुर।
8. मु0अ0सं0- 118/22 धारा आबकारी अधि0 थाना चिलकाना, स0पुर।

गिरफ्तार अभियुक्त आकिल का अपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0सं0- 175/17 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना, स0पुर।
2. मु0अ0सं0- 461/19 धारा 379 भादवि थाना चिलकाना, स0पुर।
3. मु0अ0सं0- 464/19 धारा- 411/420/465 एक्ट थाना चिलकाना, स0पुर।
- 4.मु0अ0सं0- 101/2020 धारा 2/3 गैस्टर एक्ट थाना चिलकाना, स0पुर।
5. मु0अ0सं0- 290/2020 धारा 3/25 ए एक्ट थाना चिलकाना, स0पुर।
6. मु0अ0सं0- 466/19 धारा- 3/25 एक्ट थाना चिलकाना, स0पुर।

गिरफ्तार करने वाले अधि0/कर्म0गण:-

- 1-उ0नि0 अतुल कुमार थाना चिलकाना, स0पुर।
- 2-है0का0 159 विजेन्द्र सिंह थाना चिलकाना, स0पुर।
- 3-का0 1921 विकास थाना चिलकाना, स0पुर।
- 4-का0 1291 राहुल कुमार थाना चिलकाना, स0पुर।

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 120 ग्राम नाजायज चरस सहित

01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के आदेशानुसार व पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन मे थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय थाना चिलकाना के कुशल नेतृत्व मे चिलकाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व वांछित /वारण्टी अभिगण के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के दौरान अभि० पाल सिंह पुत्र बल्लू उर्फ बलवन्त नि० ग्राम भोजपुर गुर्जर थाना-चिलकाना, सहारनपुर को दिनांक 17.06.2022 को समय करीब 17.20 बजे बकारका भट्टा के पास से मय 120 ग्राम नाजायज चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। जो कि थाना चिलकाना के मु०अ०सं०- 175/2022 धारा- 429 भादवि में भी वांछित था। जिसके सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु०अ०सं० 179/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम पाल सिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गया है। अभि० को समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1.पाल सिंह पुत्र बल्लू उर्फ बलवन्त नि० ग्राम भोजपुर गुर्जर थाना- चिलकाना, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

1.120 ग्राम नाजायज चरस

गिरफ्तार अभियुक्त पाल सिंह का अपराधिक इतिहास:-

मु०अ०सं०- 179/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना, स०पुर।

मु०अ०सं- 175/2022 धारा- 429 भादवि थाना चिलकाना, स०पुर।

मु०अ०स०-139/2018 धारा- 429/120 बी भादवि थाना नकुड़ स०पुर।

गिरफ्तार करने वाले अधि०/कर्म०गण:-

1.उ०नि० राजकुमार थाना चिलकाना जनपद स०पुर।

2.का० 1731 प्रवीण थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

3.का० 2316 कैलाश थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।

प्रेस नोट दिनांक 18/06/22 थाना नकुड जनपद सहारनपुर

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशों के अनुपालन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नकुड महोदय के निकट पर्यवेक्षण में नशीले पदार्थ की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री नरेश कुमार थाना नकुड के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड पुलिस द्वारा आज दिनांक 18.06.22 को गश्त व चैकिंग के दौरान एक नफर अभि० जीवन पुत्र दल्लू निवासी दैदनौर थाना नकुड जनपद सहारनपुर को मय 5 किलो डोडा पोस्त के समय करीब 19.35 बजे जंगल ग्राम कैण्डल से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नकुड पर मु०अ०स० 257/22 धारा 8/15 NDPS ACT बनाम जीवन पुत्र दल्लू निवासी दैदनौर थाना नकुड जनपद सहारनपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अभि० को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।



अभि० का नाम व पता:-

जीवन पुत्र दल्लू निवासी दैदनौर थाना नकुड जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

1. 5 किलो डोडा पोस्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्र०नि० श्री नरेश कुमार
2. उ०नि० क्षितिज कुमार
3. का० 970 सदीप कुमार
4. का० 2396 आकाश कुमार

प्रेस नोट थाना फतेहपुर दिनांक 18.06.2022

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 लीटर देशी शराब खाम बरामद:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद सहारनपुर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद सहारनपुर व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर जनपद सहारनपुर के निर्देशन में एवं श्रीमान थानाध्यक्ष थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर के नेतृत्व में दिनांक 18.06.2022 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त **1. जावेद पुत्र राशिद नि हरिजन 0कालोनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर सहारनपुर को अलावलपुर रोड थाना बार्डर से समय 08.10 बजे 05 लीटर देशी शराब खाम के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 160/22 धारा 60(1) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।** अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. जावेद पुत्र राशिद निहरिजन कालोनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर सहारनपुर 0

बरामद माल का विवरण –

05 लीटर देशी शराब खाम नाजायज

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण –

1. श्री सतेन्द्र नागर, थानाध्यक्ष थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री करन नागर थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. का0 1322 गौरव कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक 18-06-2022

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा जुआ/सट्टा खेलते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 17-06-22 को थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा चकहरेटी पुलिया से अभियुक्तगण 1-राजेश पुत्र सूरजभान, 2-मनीत पुत्र महेन्द्र, 3-हैल सिंह पुत्र नगीना निवासीगण ग्राम चकहरेटी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 1255/- रुपये बरामद हुए हैं। जिसके सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 134/22 धारा 13 जी एक्ट पंजीकृत किया गया है।